प्रेषक,

एस0 पी0 गोयल,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट,
नई दिल्ली-110003

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 22 मई, 2018

विषय- आर0सी0एस0 एयरपोर्ट्स पर Passengers Baggage Trolleys तथा Chairs की व्यवस्था ।

महोदय,

प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-729/छप्पन-2018-71/13 दिनांक 10 अप्रैल, 2018 (प्रतिलिपि संलग्न) मे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से यह अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित हवाई पट्टियों को RCS एयरपोर्ट्स के रूप में संचालन हेतु आवश्यक समस्त उपकरणों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वयं क्रय करके राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जाए जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को Rental Cost का भुगतान किया जाएगा।

2- "Procurement of chairs for RCS Airports" विषय पर श्री राकेश कालरा, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक, (एन0आर0) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ईमेल पत्र दिनांक 9 मई, 2018 (प्रतिलिपि सहित) में उपर्युक्त पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में यह सूचित किया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पैसेंजर बैगेज ट्रॉली और कुर्सियों को hiring basis पर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। यदि प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के लिए यह उपकरण क्रय करके उपलब्ध कराए जाएंगे तो राज्य सरकार को इन उपकरणों पर निहित वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

3- उक्त के सन्दर्भ में पत्रांक-73/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 10 मई, 2018 में निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त आख्या में यह कहा गया है कि चूंकि समस्त सुरक्षा, अग्निशमन तथा अन्य उपकरणों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से किराए पर लिए जाने की सहमति शासन द्वारा दी गई है, अतः उपयुक्त होगा कि passengers baggage trolleys तथा कुर्सियों की आपूर्ति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से कराने की सहमति प्रदान कर दी जाए और जिसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कर दी जाए।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के चयनित स्थानों पर आरसीएस एयरपोर्ट्स को संचालित करने के लिए यथावश्यकता passengers baggage trolleys और कुर्सियों

2/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का क्रय करके राज्य सरकार को यथासमय उपलब्ध कराने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्राधिकृत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रश्नगत कार्य पर निहित वास्तविक व्यय की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होना चाहें।

भवदीय,
एस0पी0 गोयल
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या-54/2018/77भा0स0 (1)/छप्पन-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को अवगतार्थ।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।